

14.06.23 मंत्रालय के अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
सामूहिक अवकाश पर रद्दी के कारण
पत्रावली ग्राहक पेश हुई। वकील अपीलान्त
अनुपस्थित। वकील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त
को बार-बार आवाजे दिलीपी गई किन्तु
कोई उपस्थित नहीं आया। बावजूद सूचना
नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण
यह अपील अदालत द्वारा अदालत में
स्वारित की जाती है। पत्रावली फंडल शुमार
होकर बाद पूर्ण दारिद्र्य पत्र हो।


अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
भरतपुर